परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 18 जून, 2015 पर आधारित है।

परियोजना डेटा शीट

परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त सूचना होती है। चूंकि पीडीएस एक प्रगति अधीन कार्य होता है, कुछ सूचनाएं इसके प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं हो सकती हैं, परंतु इनके उपलब्ध होने पर शामिल कर ली जाएंगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनन्तिम और संकेतात्मक है।

पीडीएस सृजन तिथि	–
पीडीएस अद्यतनीकरण की तिथि	27 अप्रैल 15

परियोजना का नाम	कोलकाता पर्यावरण सुधार निवेश कार्यक्रम – किश्त 1
देश	भारत
परियोजना/कार्यक्रम संख्या	42266-023
स्थिति	अनुमोदित
भौगोलिक अवस्थिति	–

इस प्रलेख में किसी कंट्री कार्यक्रम या रणनीति तैयार करने, किसी परियोजना के वित्तपोषण, अथवा किसी विशेष भूभाग अथवा भौगोलिक क्षेत्र को कोई पदनाम देने, अथवा संदर्भित करने में एशियाई विकास बैंक का आशय किसी भूभाग अथवा क्षेत्र की स्थिति के बारे में कानूनी या अन्य प्रकार से राय प्रकट करना नहीं है।

सेक्टर	जल आपूर्ति और अन्य नगरीय अवसंरचना तथा सेवाएं
उप सेक्टर	शहरी सीवरेज शहरी जल आपूर्ति
रणनीतिक कार्यमदें	पर्यावरण अनुकूल विकास (ईएसजी) समावेशी आर्थिक विकास (आईईजी)
परिवर्तन के प्रेरक	लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण (जीईएम) शासन और क्षमता विकास (जीसीडी) निजी क्षेत्र विकास (पीएसडी)
लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण संवर्ग	संवर्ग 2: कारगर लैंगिक मुख्यधारीकरण (ईजीएम)

वित्तपोषण

सहायता का प्रकार/रीति	अनुमोदन संख्या	निधीयन का स्रोत	अनुमोदित राशि (हजार)
ऋण	3053	साधारण पूंजी संसाधन	100,000
–	–	प्रतिपक्ष	40,000
योग			**US$ 140,000**

सुरक्षोपाय संवर्ग

सुरक्षोपाय संवर्गों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें

http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories

पर्यावरण	B
अस्वैच्छिक पुनर्वास	B
स्वदेशी लोग	C

पर्यावरण तथा सामाजिक पहलुओं का सारांश

पर्यावरण पहलू

किश्त 1 में सभी उपपरियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया था और आईईई'ज तथा ईएमपी'ज एसपीएस, 2009 के अनुसार तैयार किए गए थे। प्रस्तावित उपपरियोजनाओं के लिए कोई महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रभाव पूर्वानुमानित नहीं किए गए हैं तथा प्रस्तावित सुविधाओं में अथवा उनके आसपास कोई संवेदनशील अथवा संरक्षित क्षेत्र नहीं हैं। किसी भी पूर्वदृष्ट प्रभाव का उपशमन समुचित सुविधा डिजाइन, बैठक तथा श्रेष्ठ निर्माण पद्धतियों द्वारा तत्परतापूर्वक किया गया है, जैसाकि ईएमपी में प्रलेखबद्ध है।

अस्वैच्छिक पुनर्वास

किश्त 1 के तहत प्रस्तावित उपपरियोजनाओं में महत्वपूर्ण आईआर प्रभावों का परिहार किया जाएगा। पानी के पाइप बिछाने के लिए प्रयोग की गई ओपन कट विधि के कारण ये प्रभाव 6घरों तथा 4 वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को संभावित अल्पावधि अस्थायी प्रभाव तक सीमित हैं। किश्त 1 के तहत 350 वर्गमीटर भूमि का अर्जन अपेक्षित है, जिससे दो भूस्वामी प्रभावित होंगे। दोनों भूस्वामियों से परामर्श किया गया है तथा वे अपनी भूमि बेचने के इच्छुक हैं। किश्त 1 की सभी उपपरियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया था और आरपी एसपीएस, 2009 के अनुसार तैयार किए गए थे।

स्वदेशी लोग

आईपी'ज पर कोई प्रभाव पड़ने का कोई पूर्वानुमान नहीं है।

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान

सम्पूर्ण योजना तथा डिजाइन अवस्था के दौरान मेयर, पीएमयू, केएमसी पदाधिकारियों तथा राज्य सरकार के विभागों जैसेकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) के साथ परामर्श किया गया था। प्रभावों के प्रकार का आकलन के लिए प्रस्तावित पारेषण खंड के किनारे स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर अनौपचारिक चर्चा की जाती रही हैं।

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान

केएमसी द्वारा अपनाए गए डिजाइन तथा तकनीक से इन कार्यों के साथ जुड़े संभावित सामाजिक मुद्दों को संबोधित तथा उपशमन करने में सहायता मिली है। तथापि, सूचना प्रकटीकरण परियोजना कार्यान्वयन के दौरान सुरक्षोपाय योजना का एक अभिन्न अंग है। परियोजना चक्र के भिन्न चरणों में परामर्श तथा सूचना प्रकटीकरण किया जाएगा। इस परियोजना हेतु कल्पित परामर्श उपाय हैं: (i) केएमसी द्वारा अस्थायी प्रभावों को न्यूनतम रखने के लिए निर्माण समयतालिका की सूचना इसके पदाधिकारियों तथा ठेकेदारों के माध्यम से दी जाएगी; (ii) पीएमयू यह सुनिश्चित करेगा कि प्रभावित व्यक्ति, यदि कोई है, की पहचान की जाएगी तथा आजीविका की अस्थायी हानि के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता के बारे में जानकारी दी जाएगी; तथा (iii) यह सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किए जाएंगे कि कमजोर समूह, यदि कोई है, इस प्रक्रिया को समझेगा तथा कि उनकी विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा।

वर्णन

कोलकाता पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा तथा भारत में सातवां सबसे बड़ा शहर है। इसकी जनसंख्या 45 लाख है तथा पश्चिम बंगाल के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 13 प्रतिशत है। यह नगर राज्य का प्रधान वाणिज्यिक तथा वित्तीय केन्द्र है और आगे भी रहेगा। यद्यपि यहां रहने की स्थितियों में सुधार हुआ है, तदपि बुनियादी शहरी सेवाओं का औसत राष्ट्रीय मानदंडों से नीचे बना हुआ है। जल आपूर्ति तथा सीवरेज सेवाओं की व्याप्ति, निरंतरता और गुणवत्ता में अंतराल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह नगर के निवेश आकर्षित करने, व्यापार सुसाध्य बनाने और रोजगार सृजन करने की क्षमता के साथ ही इसकी उत्पादकता, इसकी प्रतिस्पर्धाक्षमता और सबसे अहम इसके जीवन तथा कल्याण की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है।

निवेश और नीति अंतराल संस्थाओं की सेवा प्रदायगी की प्रभावोत्पादकता तथा दक्षता और नीतिगत ढांचे द्वारा बेहतर सेवा प्रदायगी एवं स्थायित्व हेतु समर्थकारी माहौल सृजित किए जाने की क्षमता को बाधित करते हैं। ये सीमाएं नियंत्रित की जा सकती हैं, किंतु विगत वर्षों में कोलकाता की विस्तारशील अर्थव्यवस्था और दोषपूर्ण निवेश एवं अनुरक्षण ने इन अंतरालों को पाटना अतिआवश्यक बना दिया है। कोलकाता नगर निगम (केएमसी), जो 1980 में केएमसी ऐक्ट के तहत नगर व्यवस्था के लिए सृजित किया गया था, जल और सीवरेज सेवाओं की प्रदायगी हेतु जिम्मेदार है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) केएमसी के साथ सन 2000 से, परंतु केवल सीवरेज के लिए काम कर रहा है।

इस भागीदारी के अच्छे परिणाम रहे हैं। केएमसी के पास इसकी कार्य दक्षता, संस्थानिक प्रभावशीलता, नीति तथा सम्पोषणीयता में अंतरालों को संबोधित करने के लिए अपनी रणनीति, सेक्टर रोडमैप, नीतिगत ढांचा और निवेशयोजना मौजूद है। निवेश कार्यक्रम में भौतिक तथा अन्य निवेश शामिल हैं। केएमसी एडीबी की मुख्यवित्तपोषक तथा सलाहकार भागीदार की भूमिका जारी रखने का इच्छुक है। आवधिक वित्तपोषण अनुरोध के तहत वित्तपोषण हेतु प्रस्तावित परियोजना के तीन परिणाम होंगे: (i) अदक्ष जल आपूर्ति आस्तियों का पुनरूद्धार होगा; (ii) सीवरेज तथा बाहरी परिधि में विस्तार जारी रहेगा; और (iii) वित्तीय तथा परियोजना प्रबंधन क्षमता का और अधिक विकास होगा।

परियोजना तर्काधार और देश/प्रादेशिक रणनीति के साथ सम्बद्धता

कोलकाता में जल आपूर्ति तथा सीवरेज सेवाओं के राष्ट्रीय औसत में विशेषकर गुणवत्ता, निरंतरता और व्याप्ति की दृष्टि से काफी सुधार हुआ है। नगर की सीवेज उपचार प्रणाली अच्छी तथा किफायती भी है। तथापि, सेवा व्यवस्था पूरे शहर में एकसमान नहीं है तथा आर्थिक विस्तार का दबाव निरंतर बढ़ रहा है। शहर के बाहरी हिस्से की तुलना में मध्य भाग में सेवा बेहतर है। यह एक समस्या और अवसर दोनों के रूप में देखा जा सकता है। समस्या यह है कि मध्य भाग की आबादी कम हुई है जबकि बाहरी भाग में कमजोर परिवारों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जहां सेवा व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है।

केएमसी द्वारा अपेक्षाकृत उच्चतर आय वाले मध्य भाग से राजस्व सृजित करने तथा बाहरी हिस्से में सेवाओं की बेहतरी के लिए उसका निवेश करने के रूप में अवसर विद्यमान है। नगर में सेवाओं की असमानता दूर करने के लिए कठोर प्रयास किए गए हैं। ये प्रयास कोलकाता पर्यावरण सुधार परियोजना (केईआईपी) के लिए 2000 तथा 2006 में दो ऋण उपलब्ध कराए जाने के साथ प्रारंभ हुए। इन ऋणों द्वारा 564 किलोमीटर लम्बे सीवर ड्रेन नेटवर्क नवीकरण तथा तीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के पुनरूद्धार का वित्तपोषण किया गया, जिससे सीधे सीवर कनेक्शन से जुड़ी आबादी की संख्या में 2001 में 31 प्रतिशत के मुकाबले 2011 में 43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सीवरेज की अपेक्षा जल आपूर्ति की व्याप्ति उच्चतर है, मध्य भाग तथा बाहरी भाग के बीच, विशेषकर सेवा निरंतरता के मामले में, असमानता बरकरार है। यदि इन असमानताओं पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो ये असमानताएं और अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि लोग मध्य भाग से बाहरी भाग की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं।

विकास प्रभाव

जल आपूर्ति, सीवरेज तथा ड्रेनेज सेवा की गुणवत्ता तथा केएमसी के चुनिंदा क्षेत्रों में कार्य स्थायित्व में सुधार।

परियोजना परिणाम

परिणाम का वर्णन	परिणाम की दिशा में प्रगति
केएमसी के चुनिंदा क्षेत्रों में जल आपूर्ति, सीवरेज तथा ड्रेनेज सेवाओं की परिचालन दक्षता और व्याप्ति में सुधार।	कार्य अभी 2014 में ही प्रारंभ हुए हैं तथा ऋण अवधि में परिणाम प्राप्त करने की दिशा में प्रगति संतोषजनक है।

आउटपुट और कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का वर्णन	कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां तथा मुद्दे)
अकुशल जल आपूर्ति आस्तियों का पुनरूद्धार। सीवरेज का बाहरी हिस्सों में विस्तार जारी। वित्तीय तथा परियोजना प्रबंधन क्षमता में आगे विकास।	दो जल आपूर्ति पैकेज प्रदान किए गए; एक निर्माण प्रारंभ किया गया दो सीवरेज पैकेज प्रदान किए गए; एक निर्माण प्रारंभ किया गया एक संयुक्त जल आपूर्ति एवं सीवरेज पैकेज प्रदान किया गया; दो बड़े निर्माण पैकेज तथा दो छोटे निर्माण पैकेज प्रदान किए गए।

विकास उद्देश्यों की स्थिति	प्रचालन/निर्माण की स्थिति
–	–

महत्वपूर्ण परिवर्तन

–

व्यवसाय अवसर

प्रथम सूचीयन की तिथि 3 नव., 10

परामर्शी सेवाएं

इस परियोजना के तहत वित्तपोषित की जाने वाली सभी परामर्शी सेवाओं की भर्ती एडीबी के परामर्शदाता उपयोग संबंधी दिशानिर्देश (2013 समय समय पर संशोधित अनुसार) के अनुसार की जाएगी। इसमें चार प्रमुख परामर्शी सेवा संविदा पैकेज हैं: (i) कार्यक्रम प्रबंधन परामर्शदाता; (ii) डिजाइन तथा निरीक्षण परामर्शदाता; (iii) जन संचार तथा सामाजिक विकास परामर्शदाता; और (iv) जीआईएस आधारित प्रबंधन प्रणाली परामर्शदाता फेज़ –1. चार टीमों का चयन गुणवत्ता और लागत–आधारित चयन विधि द्वारा किया जाएगा।

अधिप्राप्ति

माल और कार्यों की सभी अधिप्राप्तियां एडीबी के अधिप्राप्ति दिशानिर्देश (2013 समय समय पर संशोधित अनुसार) के अनुसार की जाएगी। सम्पूर्ण सुविधा अवधि के दौरान राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलीदान के लिए सहमत मानक बोलीदान प्रलेख प्रयोग किए जाएंगे।

अधिप्राप्ति तथा परामर्श–सूचनाएं

http://www.adb.org/projects/42266-023/business-opportunities

समयसारणी

संकल्पना स्वीकृति	–
तथ्य–अन्वेषण	–
प्रबंधन समीक्षा बैठक	14 अगस्त, 12
अनुमोदन	22 अक्टूबर, 13

उपलब्धियां

अनुमोदन सं.	अनुमोदन	हस्ताक्षरण	प्रभावी तिथि	समापन		
				मूल	संशोधित	वास्तविक
ऋण 3053	22 अक्टूबर, 13	3 मार्च, 14	30 मई, 14	30 जून, 19	–	–

उपयोग

तिथि	अनुमोदन संख्या	एडीबी (हजार अमेरिकी डालर)	अन्य (हजार अमेरिकी डालर)	शुद्ध प्रतिशत
संचयी संविदा अधिनिर्णय				
17 जून, 2015	ऋण 3053	50,909	0	51.00%
संचयी संवितरण				
17 जून, 2015	ऋण 3053	4,900	0	5.00%

उपसंविदाओं की स्थिति

उपसंविदाएं निम्नलिखित संवर्गों में वर्गीकृत की जाती हैं – लेखापरीक्षित लेखा, सुरक्षोपाय, सामाजिक, सेक्टर, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य। उपसंविदा अनुपालन का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंड लागू करने द्वारा किया जाता है: (i) संतोषजनक – इस संवर्ग में सभी उपसंविदाओं का अनुपालन अधिकतम एक अपवाद के साथ किया जा रहा है; (ii) आंशिक रूप से संतोषजनक – अधिकतम दो उपसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; (iii) असंतोषजनक – तीन या अधिक उपसंविदाओं का अनुपालन नहीं किए जाने पर इस संवर्ग में रखी जाती हैं। लोक संचार नीति 2011 के अनुसार परियोजना वित्तीय प्रकथनों हेतु उपसंविदा अनुपालन मूल्यांकन केवल उन परियोजनाओं पर लागू होता है, जिनका वार्ता हेतु आमंत्रण 2 अप्रैल, 2012 के पश्चात का है।

	वर्ग						
अनुमोदन सं.	सेक्टर	सामाजिक	वित्तीय	आर्थिक	अन्य	सुरक्षोपाय	परियोजना वित्तीय विवरण
ऋण 3053	–	–	संतोषजनक	–	संतोषजनक	संतोषजनक	–

सम्पर्क तथा अद्यतन विवरण

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	नीता पोखरेल (@adb.org)
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	शहरी विकास और जल प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक अभिकरण	कोलकाता नगर निगम

लिंक्स

परियोजना वेबसाइट	http://www.adb.org/projects/42266-023/main
परियोजना प्रलेखों की सूची	http://www.adb.org/projects/42266-023/documents